

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिसंकेत नं० २३/१५३,  
दिनांक २००९-०७-२२ द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनांतर्गत डाक टिकटों की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



श्री श्री कामक भोपाल विभाग  
भोपाल, मध्य प्रदेश-४६१००१

# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक २१]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक २२ मई २००९—ज्येष्ठ १, शक १९३१

## भाग ४

विषय-सूची

- |     |                        |                               |                            |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| (क) | (१) मध्यप्रदेश विधेयक, | (२) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (३) संसद में पुराने विधेयक |
| (ख) | (१) मध्यप्रदेश,        | (२) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (३) संसद के अधिनियम        |
| (ग) | (१) अन्तिम नियम,       | (२) अन्तिम नियम,              |                            |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक ७ मई २००९

क्र.एफ/३-३७-२००९-४स-१.— भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के प्रांतिक द्वारा संसद सदस्यों की कार्यवाही में आते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सूचीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा शर्तों नियम, २००० में निम्नलिखित संशोधन कराने हैं, अर्थात्:—

संशोधन

संशोधन नियमों को, अनुसूची में उक्त शीर्षक दो 'ई' टिप्पणी का ताव किया जाए.

No.F-3-37-2009-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby announces the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Ministerial) Forest Services Recruitment Rules, 2000, namely:—

**AMENDMENT**

In the said rules, the note given below the subheaded III shall be omitted.

क्र. एक 3-36-2009-दस-1.—प्रधान-मन्त्री के आदेश के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश श्रुतीय श्रेणी (संश्लेषिक वर्गीय) का सेवा भर्ती नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

**संशोधन**

उक्त नियमों में, अनुसूची तीन के नीचे की शर्तों के अन्तर्गत का खोप रिक्रिया जाए

No.F-3-36-2009-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby announces the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) Forest Service Recruitment Rules, 2000, namely:—

**AMENDMENT**

In the said rules, the note given below the subheaded III shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के.के. कर्नाड, अवर सचिव.